लोकायुक्त कार्यालय,
4, कौटिल्य मार्ग, पटना–1

पत्रांक :–3/लोक(स्था0) 05/18– 1109 /लोक, पटना–1 दिनांक 3/12/18

प्रेषक,

सचिव (प्रभारी)
लोकायुक्त कार्यालय,
बिहार, पटना ।

सेवा में,

निदेशक,
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग,
बिहार, पटना ।

विषयः– लोकायुक्त कार्यालय, बिहार, पटना में मुख्य अभियंता के पद पर संविदा के आधार पर नियोजन के संबंध में ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि लोकायुक्त कार्यालय में मुख्य अभियंता के रिक्त पद पर संविदा के आधार पर नियोजन हेतु दैनिक सामाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित किया जाना है । इस संबंध में विज्ञापित होने वाली सूचना एतद्सह संलग्न है । अतः, अनुरोध है कि संलग्न सूचना राज्य के कम–से–कम दो प्रतिष्ठित दैनिक समाचार पत्रों में यथाशीघ्र प्रकाशित करवाते हुए प्रेस कतरन की प्रति भी इस कार्यालय को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय ।

अनु0–यथोक्त (दो पृष्ठ)।
एवं सी0डी0

विश्वासभाजन,

30/11/18
सचिव (प्रभारी)
लोकायुक्त कार्यालय, बिहार,
पटना

विज्ञापन सं0–05/2018

लोकायुक्त कार्यालय, बिहार, पटना में मुख्य अभियंता के पद पर संविदा के आधार पर नियोजन हेतु

लोकायुक्त कार्यालय, बिहार, पटना में रिक्त मुख्य अभियंता के 01 (एक) पद पर संविदा के आधार पर नियोजन हेतु निम्नांकित शर्त्तों के अधीन विहित–प्रपत्र में आवेदन आमंत्रित किए जाते है :–

1. **पात्रता :–** (i) बिहार सरकार/भारत सरकार से मुख्य अभियंता अथवा समकक्ष पद से सेवा निवृत्त अभियंत्रण सम्वर्ग के पदाधिकारी।

   (ii) वैसे पदाधिकारी जिनको निगरानी विभाग/ विभिन्न विभागों के निगरानी कोषांग/आर्थिक अपराध इकाई/केन्द्रीय सतर्कता आयोग में अभियंत्रण संबंधी तकनीकी अनुसंधान में कम–से–कम 5 वर्षों का अनुभव प्राप्त हो।
2. **उम्र सीमा :–** दिनांक 01.01.2019 को अधिकतम उम्र सीमा 65 वर्ष तक होगी ।
3. **कोटि** :– अनारक्षित।
4. कार्य असंतोषजनक पाये जाने की स्थिति में किसी भी समय बिना किसी पूर्व सूचना के नियोजन समाप्त किया जा सकेगा।
5. निम्नांकित कोटि के कर्मियों को नियोजन नहीं किया जा सकेगा :–

   (i) जिन पर कोई निगरानी का मामला चल रहा हो।

   (ii) जिन पर कोई विभागीय कार्यवाही चल रही हो।

   (iii) जिन पर कोई गम्भीर आरोप विचाराधीन हो।

   (iv) जिन पर किसी भी तरह का कोई अपराधिक मामला दर्ज हो।

   (v) जो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण में सक्षम नहीं है।
6. उपर्युक्त शर्त्तों के अधीन जो अपराध अनुसंधान (तक0) बिहार सरकार/भारत सरकार से समकक्ष पद से सेवानिवृत्त अभियंत्रण संवर्ग के पदाधिकारी संविदा पर नियोजन के लिए इच्छुक हैं, वे अपना आवेदन विहित प्रपत्र में विज्ञापन प्रकाशित होने की तिथि से 15 (पन्द्रह) दिनों के भीतर 4, कौटिल्य मार्ग, पटना–1 स्थित लोकायुक्त कार्यालय, बिहार, पटना में जमा कर सकते हैं।

नोट :–(i) विज्ञापन को किसी भी समय रद्द करने का अधिकार माननीय अध्यक्ष, लोकायुक्त बिहार, पटना के समक्ष सुरक्षित रहेगा।

(ii) किसी भी विवाद का निपटारा माननीय अध्यक्ष, बिहार, लोकायुक्त कार्यालय, पटना के न्यायालय के क्षेत्राधिकार में रहेगा।

ह0/–
सचिव (प्रभारी)

नियोजन हेतु विहित आवेदन का प्रारूप

फोटो
(पासपोर्ट साईज)

1. सेवानिवृत्त पदाधिकारी का नाम :–

   मोबाईल संख्या–

   E mail I.D.

2. अभ्यर्थी के पिता/पति का नाम :–

3. जन्म तिथिः–

4. सेवानिवृत्ति की तिथि :–

5. वर्तमान पता :–

6. स्थायी पता :–

7. नियुक्ति की तिथि :–

8. विभाग का नाम जहाँ से अभ्यर्थी सेवा निवृत्त हुए है :–

9. (i) पदनाम :–

   (जिस पद से सेवानिवृत्त हुए हैं)

   (ii) उक्त पद पर कुल सेवावधि :–

10. कोटिः–

11. अभ्यर्थी के विरूद्ध कोई अपराधिक वाद/निगरानी वाद/विभागीय कार्यवाही लंबित है या नहीं

स्थान :

तिथिः

आवेदक का हस्ताक्षर